सेवा में,

सम्बंधित अधिकारी,

न्याय विभाग,

विधि और न्याय मंत्रालय,

भारत सरकार

महोदय/महोदया,

सविनय निवेदन यह है कि **17 March 1866** को **आगरा, उत्तर प्रदेश** में **North-Western Provinces** का **उच्च न्यायालय** हुआ करता था जिसे **1868/69** में वर्तमान **प्रयागराज (इलाहाबाद)** स्थानांतरित कर दिया गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 20 करोड़ से भी अधिक है, और न्याय के लिए 500 किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाना बहुत ही खर्चीला और थका देने वाला है।

वर्ष **1980** में केंद्र द्वारा नियुक्त **जसवंत सिंह आयोग** की रिपोर्ट में **आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना को उचित माना गया था।** प्रार्थी ने पढ़ा है कि जसवंत सिंह आयोग की ही रिपोर्ट पर **औरंगाबाद (महाराष्ट्र)** में महाराष्ट्र हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना हुयी। **लेकिन आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना नहीं की गयी।**

वर्ष 1986 में विपक्ष नेता **श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी** ने भी इस बात को कहा था कि **वाकई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इसकी आवश्यकता है और यहाँ एक खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए।**

07 नवम्बर 1994 को **मुलायम सिंह यादव जी** ने **आगरा** को हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना के लिए **उचित** माना था।

वर्ष **2012** में एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर के अनुसार **उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित सर्वाधिक मामले आगरा महानगर और उसके आस पास के क्षेत्र से हैं और उससे कुछ ही कम मामले मेरठ और उसके आस पास के क्षेत्र से हैं** अर्थात **उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में सर्वाधिक लंबित मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं।**

सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के आदेश पर गौर करें जिसके अनुसार **पूरे देश में लंबित आपराधिक मामलों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही हैं अतः उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए और एक निचले स्तर से सुप्रीम कोर्ट तक मामलों के निस्तारण की कुल अवधि अधिकतम 5 वर्ष होनी चाहिए।**

ऐसे में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाईकोर्ट खंडपीठ मिलती है तो केवल राज्य ही नहीं वरन पूरे देश में लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी। क्योंकि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लंबित मामलों का निस्तारण शीघ्रता से होगा तो इससे लंबित मामलों की कुल संख्या में गिरावट होगी।

क्या आपके जैसे ज़िम्मेदार मंत्रालयों का जनहित में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उच्च न्यायालय की खंडपीठ दिया जाना कोई बहुत कठिन कार्य है? कृपया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए खंडपीठ स्थापना पर आपके निर्णय सांझा करने का कष्ट करें साथ ही बताएं कि यदि आप इसके पक्षधर हैं जनहित में तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस महानगर को सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं और उसके पीछे क्या वजह है? और यदि आप जनहित को दरकिनार करते हुए इस बात के पक्षधर नहीं हैं कि नागरिकों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले तो उसके पीछे क्या आधार है?

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया जनहित में इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालने का कष्ट करें और अवगत करवाएं।

धन्यवाद

प्रार्थी

मयंक सक्सैना

22/82, विजय नगर कॉलोनी,

आगरा, उत्तर प्रदेश (282004)

Details for registration number : DEPOJ/E/2020/01168

Name	Mayank Saxena
Date of receipt	16/03/2020
Address	22/82 Pandit Moti Lal Nehru Road Old Vijay Nagar Colony
District name	Agra
State name	Uttar Pradesh
Mobile no	8077936804
Email Id	honeysaxena2012@gmail.com
Grievance description	
Grievance enclosed in attachment. Please resolve it as soon as possible. thanks & regards	
Additional Information	Not Provided
Grievance Document	(/CPGOFFICE/FileUpload/Preview/DEPOJ_E_2020_01168)
Name of organisation(s) where grievance is pending	1. Department of Justice
Type of receipt	Direct Receipt

Action History of registration number: DEPOJ/E/2020/01168							
SN.	**Action Taken**	**Date of Action**	**From**	**To**	**Remarks**	**Action Taken by**	**Document**
1	RECEIVED THE GRIEVANCE	16/03/2020	COMPLAINANT - (C1TZN)	Department of Justice - (DEPOJ)			
2	EXAMINED AT OUR LEVEL	17/03/2020	Department of Justice - (DEPOJ)	Department of Justice - (DEPOJ)	The grievance has been forwarded to Registrar General, Allahabad High Court for action, as appropriate.	Smt Sushma Taishete (Joint Secretary)	

Print Close

संदर्भ संख्या : 60000200079430 , दिनांक - 08 Jun 2021 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-
60000200079430

आवेदक का नाम-
Mayank Saxena

विषय-
श्रीमान वर्तमान तक सन्दर्भ संख्या DEPOJ/E/2020/01168 (दिनांक: 16/03/2020) पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। महोदय, प्रार्थी ने कहीं पढ़ा था कि हाईकोर्ट बेंच हेतु देश के Chief Justice और राज्य के राज्यपाल का निर्णय लिया जाता है। ऐसे में रिमार्क में लिखा "The grievance has been forwarded to Registrar General, Allahabad High Court for action, as appropriate." कि Registrar General, Allahabad High Court को पत्र भेजा जा रहा है उक्त नियमों के अनुसार समाधान उपलब्ध नहीं करवा सकता। मूलतः DEPOJ/E/2020/01168 (दिनांक: 16/03/2020) को राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को भेजा जाना चाहिए था। मूल पत्र पर वर्तमान तक में कोई कार्यवाही नहीं हुई है और इसकी वजह कार्य का कार्यक्षेत्र से बाहर होना भी हो सकता है। कृपया यदि संभव हो तो आगरावासियों और निकट शहरों के हित के मद्देनज़र मूल पत्र को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया और Chief Justice of India जी के संज्ञान में देने का कष्ट करें। धन्यवाद

विभाग -
न्याय

शिकायत श्रेणी -

नियोजित तारीख-
19-08-2020

शिकायत की स्थिति-

स्तर -
शासन स्तर

पद -
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -
दिनांक को फीडबैक:-

फीडबैक की स्थिति -

संलग्नक देखें -
Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	आदेश/आपत्ति दिनांक	आदेश/आपत्ति	आख्या देने वाले अधिकारी	आख्या दिनांक	आख्या	स्थिति	संलगनक
1	अंतरित	लोक शिकायत अनुभाग -3(, मुख्यमंत्री कार्यालय)	04-08-2020	कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव -न्याय	15-10-2020	उक्त प्रकरण न्याय अनुभाग 1 के पत्र सं सा0 1385,सात न्याय ,1, 2020, 247, 2012 दिनांक 09 अक्टूबर 2020 द्वारा महानिबन्धक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रत्र कार्यवाही हेतु प्रेषिता	निस्तारित	